फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

इंडियन बैंक राजसमन्द, शाखा राजसमन्द, राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

(1) श्री प्रवीण कुमार कुमावत पुत्र श्री राम चन्द्र कुमावत, हाथीनाडा, बी/एच, स्वास्तिक सिनेमा, कांकरोली, राजसमन्द राजस्थान 313324

एवं

प्लॉट नं. 8, सरकारी स्कूल के पास, हाथीनाडा, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान 313324

– ऋणी

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 39/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.04.2025 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी इंडियन बैंक राजसमन्द ने दिनांक 12.09.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 23.10.2019 को प्रार्थी बैंक से जरिये खाता ऋण करार संख्या 50453191564, के द्वारा 15.00 लाख रूपये, एवं ऋण करार संख्या 50503437016, के द्वारा 4.80 लाख रूपये, कुल रूपये 19.80 लाख का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – श्री प्रवीण कुमार कुमावत पुत्र श्री राम चन्द्र कुमावत के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 8, सरकारी स्कूल के पास, आराजी नं. 675/1, हाथीनाडा, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान 313324 पर स्थित हैं। जिसका क्षैत्रफल 960 वर्गफीट हैं। जिसकी सीमाएं :– पूर्व – कृषि भूमि आराजी नं. 675/2, पश्चिम – रोड 30 फीट चौडी, उत्तर – प्लॉट नं. 09, दक्षिण – प्लॉट नं. 07, को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 30.04.2024 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी के कुल रूपये 22,10,815.00 अक्षरे बाईस लाख दस हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये बकाया रकम व ब्याज दिनांक 06.05.2024 तक शेष व देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 06.05.2024 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो कि उन्हें प्राप्त हो गये। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के	

पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्तियां रहन रखी है। प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 06.05.2024 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार प्रकाशन की प्रति पेश की गयी। उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण श्री प्रवीण कुमार कुमावत पुत्र श्री राम चन्द्र कुमावत के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 8, सरकारी स्कूल के पास, आराजी नं. 675/1, हाथीनाडा, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान 313324 पर स्थित हैं। जिसका क्षैत्रफल 960 वर्गफीट हैं। जिसकी सीमाएं :– पूर्व – कृषि भूमि आराजी नं. 675/2, पश्चिम – रोड 30 फीट चौडी, उत्तर – प्लॉट नं. 09, दक्षिण – प्लॉट नं. 07 है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी इंडियन बैंक राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी इंडियन बैंक राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)